

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6 / वि०पत्रा०—24—77 / 2023

पटना, दिनांक:—

श्रीमती स्नेहा वर्मा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं० बैच), किशनगंज अंचल, किशनगंज को गर्भपात के कारण बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के नियम 220 (घ) (i) एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या—2498, दिनांक—12.04.2007 के कंडिका—4 (च) (i) के तहत दिनांक—14.05.2026 से 21.06.2026 तक कुल—39 दिनों का प्रसव छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० /—

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6 / वि०पत्रा०—24—77 / 2023 3356

पटना, दिनांक:— 01/09/26

प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), किशनगंज अंचल, किशनगंज/नोडल पदाधिकारी, एच० आर० एम० एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/एच०आर० मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती स्नेहा वर्मा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं० बैच), किशनगंज अंचल, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।